फोर्टी ने की निर्यातकों एवं उद्योगों को दिए जाने वाले लाभों को शीघ्र देने की मांग

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्टी) अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि कोविड के चलते वर्तमान समय में उद्योग एवं व्यापार की हालत बहुत खस्ता हो गई है। व्यापार एवं उद्योग जगत वेंटीलेटर पर चल रहा है जिसके चलते कई सूक्ष्म एवं मझले तबके के उद्योग धंधे पूर्ण रूप से चौपट हो गये है। ऐसी गंभीर स्थिति में फोर्टी द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भेज कर इस और तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया है।

अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान समय में द्वितीय लॉकडाउन के दौरान जहाँ ASI

सुरेश अग्रवाल
अध्यक्ष, फोर्टी

सीए अभिषेक शर्मा
अतिरिक्त महामंत्री, फोर्टी

नरेश सिंघल
चीफ सेक्रेटरी, फोर्टी

डिपार्टमेंट ने माह अप्रैल एवं मई की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बढ़ाकर 15 जून तक कर दी थी, परन्तु पीएफ डिपार्टमेंट ने माह अप्रैल एवं मई के कंट्रीब्यूशन जमा कराने एवं रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को लॉकडाउन होने के बावजूद भी नही बढ़ाया गया है, जिससे चलते जहां एक तरफ उद्योगों एवं व्यापारियों को 12 प्रतिशत ब्याज एवं 5 प्रतिशत क्षति जमा करवानी पड़ रही है। वही दूसरी और यदि ड्यू डेट तक पीएफ का कंट्रीब्युशन एवं रिटर्न जमा नही करवाई जाती है तो व्यापारियों को प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ भी नही मिलता है। अतः व्यापारियों को दोहरी मार से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को तुरंत प्रभाव से माह अप्रैल एवं मई 2021 कि पीएफ की कंट्रीबुशन एवं रिटर्न एवं फाइलिंग की अंतिम तारीख को तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जाना चाहिए।

फोर्टी के अतिरिक्त महामंत्री सीए अभिषेक शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में निर्यातकों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर निर्यातकों के आर्डर कैंसिल हो रहे है। वहीं साथ ही उनको अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों से समय पर भुगतान नही मिल पा रहा है। वही दूसरी और केंद्र सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जा रही प्रोत्साहन स्कीम एवं MEIS का वर्ष 2020-21 के लिए लाभ नही दिया जा रहा है, जिसका कारण बजट की कमी बताया गया है। साथ ही 1 जनवरी 2021 से लागू की गई नई योजना RODTEP की भी दरें अभी तक निर्धारित नही की गई है।

फोर्टी चीफ सेक्रेटरी नरेश सिंघल ने बताया कि फोर्टी द्वारा केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया है कि निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए तुरंत प्रभाव से MEIS योजना का वर्ष 2020-21 का लाभ निर्यातको को दिया जाये एवं साथ ही निर्यातकों के लिए 1 जनवरी 2021 से लागू ODTEP स्कीम की उद्योगों के अनुसार रिफंड की दरें निर्धारित की जाये।

शारदा ड्रीम सिटी में 2 बीएचके के मकानों के साथ प्लॉटों को लेकर भी उत्साह

6.84 लाख में 2 बीएचके मकान के अलावा यहां मात्र 6.09 लाख की रेंज से अलग-अलग साइज के अप्रूव्ड प्लॉट भी उपलब्ध

बिजनेस रेमेडीज/भीलवाड़ा। चित्तौड़ रोड स्थित शारदा ड्रीम सिटी में महज 6.84 लाख में मिल रहे 2 बीएचके मकान के साथ-साथ शहरवासियों में यहां मिल रहे विभिन्न साइजों के अप्रूव्ड प्लॉट को लेकर भी उत्साह है। शारदा समूह के डायरेक्टर हृदय लाठ ने बताया कि 2 बीएचके मकानों को लेकर शहरवासियों ने खासा उत्साह दिखाया। इसके साथ शहरवासियों के लिए यहां बहुत ही कम कीमतों पर अप्रूव्ड प्लॉट भी उपलब्ध है। यहां पर प्लॉटों की रेंज मात्र 6.09 लाख से प्रारंभ है और विभिन्न साइजों के प्लॉट है। शारदा ड्रीम सिटी में करीब 450 परिवार निवास कर रहे है।

एनजीटी के आदेशों की पालना हेतु शिकायत केन्द्र स्थापित

बिजनेस रेमेडीज/पाली। जिला कलैक्टर अंश दीप के निर्देशन में एनजीटी के आदेशों की पालना हेतु पाली शहर में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए शिकायत केन्द्र संचालित हो रहा है। जिसके लिए ईमेल आईडी pollutioncomplaints@gmail.com एवं कंट्रोल रूम दूरभाष नम्बर 02932-222252 पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।

उपखण्ड अधिकारी देशलदान ने बताया कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर उपखण्ड अधिकारी पाली, तहसीलदार पाली एवं क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पाली सदस्य के नेतृत्व में दो दलों का गठन किया गया है। जो सीईटीपी के आउट लेट, इनलेट नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने, स्काडा मीटर, अवैध इकाईयों एवं सार्वजनिक स्थानों, नालों, खाली प्लांट आदि पर प्रदूषित पानी छोडने वालों के विरूद्ध उडन दस्तों के रूप में कार्रवाई करने के साथ ई-मेल एवं कंट्रोल रूम पर मिलने वाली शिकायतों की जांच व कार्यवाही कर साप्ताहिक बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

'प्रदेश की लाइफ लाइन है रोडवेज, नहीं होगा निजीकरण'

जयपुर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान रोडवेज प्रदेश की लाइफ लाइन है। मुख्यमंत्री स्वयं रोडवेज के सुनियोजित सफल संचालन के लिए संवेदनशील है। राज्य सरकार रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ है। रोडवेज का निजीकरण नहीं किया जायेगा। इसमें सुधार लाने के लिए यूनियन के पदाधिकारियों, विशेषज्ञों से सुझाव लेकर नए तरीके से योजना बनायी जाएगी।

परिवहन मंत्री ने शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा से वार्ता की। परिवहन मंत्री ने एक-एक कर सभी की मांगों को सुनकर शीघ्र निस्तारण करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि रोडवेज को मिलने वाले अनुदान, कर्मचारियों के परिलाभ के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के मार्गो को बंद नहीं किया जायेगा। रोडवेज के बस स्टैंडों के अंदर से ना तो लोक परिवहन बसें चलेगी, ना ही निजी बसें। उन्होंने कहा कि लोक परिवहन बसों को नये परमिट तक नहीं दिये जा रहे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के इतिहास में पहली बार 900 नई बसें खरीदी गई। आगे भी सुनियोजित संचालन के लिए नई बसें खरीदी जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को परिलाभ देना पहली प्राथमिकता हैं। मुख्यमंत्री भी चिंता जता चुके है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शीघ्र परिलाभ मिलने चाहिए। इसके लिए राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड से परिलाभ दिलाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोडवेज के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के परिलाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जायेगा।

आइटीआई में तकनीकी गेस्ट फेकल्टी की नियुक्तियां

बिजनेस रेमेडीज/पाली। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न व्यवसायों व विषयों के लिए अतिथि अनुदेशक के रूप में कार्य करने के लिए तकनीकी सेवानिवृत कार्मिकों व योग्यताधारी व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है।

संस्थान के आचार्य विक्रमसिंह मेहरा ने बताया कि आईटीआई में आरएसी, मैकेनिक इलेक्ट्रोनिक्स, वर्कशॉप केलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग तथा एम्पलोयबीटी स्कील के लिए अतिथि अनुदेशक के पद पर आवेदन मांगे गए है। तकनीकी योग्यता व अनुभव रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 25 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आरएसी, मैकेनिक इलेक्ट्रोनिक्स, वर्कशॉप केलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग पदों के लिए संबंधित व्यवसाय में डिग्री व डिप्लोमा व दो वर्ष का अनुभव अथवा आईटीआई व तीन वर्ष का अनुभव, निर्धारित तकनीकी योग्यता व अनुभव आवश्यक होगा।

राजस्थान ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
CIN No. L27107RJ1985PLC003370
पंजीकृत कार्यालय 28-37, बांके बिहारी इण्डस्ट्रियल एरिया, जाटावली मोड, महरकाला रोड़, विलेज देहरा, चौमू, जयपुर- 303806, फोन नं. +91 9828311222
ई-मेलः rajtube@hotmail.com वेबसाइटः www.rajtube.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक, बुधवार 30 जून, 2021 को आयोजित की जायेगी, जिसमे अन्य बातो के साथ 31 मार्च, 2021, को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेषित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृत किया जायेगा। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.rajtube.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते राजस्थान ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
स्थानः जयपुर — हस्ताक्षर
दिनांकः 22.06.2021 — अंशु गुप्ता (कम्पनी सचिव)

M.K. EXIM (INDIA) LIMITED
CIN: L63040RJ1992PLC007111
Registered Office: G-1/150, Garment Zone, E.P.I.P. RIICO Industrial Area, Sitapura, Sanganer, Jaipur -302022, Rajasthan
Phone: 0141- 3937501, Fax: +91-141-3937502
E-mail: mkexim@gmail.com, Web-Site: www.mkexim.com

NOTICE FOR BOARD MEETING

NOTICE is hereby given, Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (LODR), that a meeting of the Board of Directors of M.K.EXIM (INDIA) LIMITED is scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021 at Registered Office, to inter alia, to consider and approve the Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2021 and other matters as per agenda.
The above can be accessed at the at the Company's website **www.mkexim.com** as well as the BSE website **www.bseindia.com**

For M.K.Exim (India) Limited
Sd/-
Prakriti Sethi
Place: Jaipur — **Compliance Officer**
Date: 21.06.2021 — **Company Secretary**

'नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों का 10 जुलाई तक पंजीयन कराए'

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता भास्कर ए सावंत ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत नवगठित होने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीयन 10 जुलाई तक अवश्य रूप से कराए, ताकि इन्हें क्रियाशील कर किसानों को अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण सहित अन्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके।

सावंत वर्चुअल तरीके से विभागीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन पर रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 718 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होना है। फील्ड के अधिकारी शीघ्र ही इससे संबंधित कार्यवाही पूरी कर प्रस्ताव भिजवायें, ताकि स्वीकृति दी जा सके।

उन्होंने कहा कि नवगठित 282 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से अभी तक 93 का ही पंजीयन हुआ है। ऐसे में शेष समितियों के पंजीयन में तत्परता बरते। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के फंक्शनल अधिकारी जिलेवार टारगेट तय कर मॉनिटरिंग करे। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण की शुरूआत एवं इससे संबंधित लंबित प्रकरणों को 15 दिन में निस्तारित करें।

सावंत ने कहा कि स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ अभी तक 1081 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसमें से 665 शिकायतों पर नोटिस जारी हुआ है तथा 305 मामलों में इस्तगासा दायर हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के शेष मामलों में जिला उप रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर इस्तागासा दायर करने की प्रक्रिया तेज करे।

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के धोखाधड़ी के मामलों में निवेशकों की 80 हजार से अधिक शिकायते मिली है, इसमें से 56 हजार से अधिक नोटिस जारी किए है।

उन्होंने निर्देश दिए कि शेष शिकायतों में भी नोटिस जारी करें, ताकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर इन सोसायटियों के खिलाफ भी इस्तगासा दायर हो सके।

अग्रवाल ने कहा कि बजट घोषणाओं में गोदाम निर्माण से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वित में टारगेट को पूरा करे। जहां गोदाम निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है वहां इसे शुरू करे साथ ही जहां गोदाम निर्माण के लिए भूमि सहित अन्य प्रक्रिया लंबित है ऐसे प्रकरणों में सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक इसे गंभीरता से लेते हुए पूरा करे।

समीक्षा बैठक के दौरान अन्य बजट घोषणाओं सहित खाद, बीज एवं कीटनाशको की मांग एवं उपलब्धता के बारे में भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

NEELKANTH ROCK-MINERALS LIMITED
CIN: L14219RJ1988PLC062162
Registered Office: 18 K.M. Stone, Jodhpur Barmer Road,Village-Narnadi Jodhpur, Rajasthan - 342001
E-mail ID: info@neelrock.com; Tel: +0291-2631839

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021 at the Registered Office at 18 K. M. Stone, Jodhpur Barmer Road Village-Narnadi Jodhpur Rajasthan- 342001, inter alia, to consider the Audited Financial Results of the Company for the quarter and Financial Year ended 31st March, 2021.

Date: 22.06.2021 — By Order Of The Board For **Neelkanth Rock-Minerals Limited**
Place: Jodhpur — Sd/-, Noratmal Kawar-Managing Director

A.K. SPINTEX LIMITED
Regd. Office:-14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.)
Ph: 9887049006, 9929139002 • Email: akspintex@gmail.com • Website: www.akspintex.com
CIN: L17117RJ1994PLC008916

NOTICE FOR BOARD MEETING

Pursuant to Regulation29 (1) (a)read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Obligations) Regulation, 2015) it is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 30th June, 2021 at 11:00 A.M. at the registered office of the company at14 K.M. Stone, Chittorgarh Road, Biliyan Kalan, Bhilwara-311001 to, inter-alia, consider and approve the Audited Financial Statements for the quarter and financial Year ended 31st, March, 2021 along with other routine business.
Further, in terms of Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of the company, the Trading Window for transaction in securities of the company shall remain closed from 1st April, 2021 to 30th June, 2021 (both days inclusive) for insider for the purpose of announcement of aforesaid result.

For **A.K. SPINTEX LIMITED**
Place: Bhilwara — Ashish Kumar Bagrecha
Date: 22nd June, 2021 — Company Secretary & Compliance Officer

राजीव गांधी लिफ्ट नहर की फेज-3 परियोजना राज्य निधि से होगी संचालित

जयपुर। राज्य सरकार ने जोधपुर शहर के साथ-साथ पांच अन्य कस्बों तथा 2 हजार से अधिक गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था सहित क्षेत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए प्रस्तावित राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 1,454 करोड़ रूपये लागत की इस परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे फेज की परियोजना जोधपुर शहर की वर्ष 2051 की आबादी तथा 5 अन्य कस्बों और 2104 गांवों सहित कुल 76.47 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

साथ ही, इससे इस क्षेत्र में प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), रोहट जिला पाली और रीको, जोधपुर में पानी की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना भी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना के तहत इंदिरा गांधी मुख्य नहर से वर्तमान खुली नहर के समानान्तर 205 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन पर 4 पम्पिंग स्टेशन की मदद से पानी जोधपुर तक लाया जाएगा। इस परियोजना को पूर्व में जाइका के वित्त पोषण से किया जाना प्रस्तावित था। लेकिन जाइका से ऋण प्राप्ति 14 माह से अधिक समय से लम्बित होने के कारण परियोजना की लागत ब?ती जा रही है। जापानी अन्तर्राष्टीय सहयोग एजेंसी जाइका से ऋण अनुबंध करने में अभी भी न्यूनतम 2 वर्ष का समय लग सकता है।

ईनाणी मार्बल्स एण्ड इण्ड़स्ट्रीज लिमिटेड़
CIN : L14101RJ1994PLC008930
पंजीकृत कार्यालयः आराजी न. 1312, उदयपुर-भीलवाड़ा हाइवे, माताजी की पाण्डोली के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001
E-mail: inanimarble@gmail.com Tel No. 01472-240111

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2021 बुधवार को 4.00 p.m कंपनी के पंजीकृत कार्यालय आराजी न. 1312, उदयपुर-भीलवाड़ा हाइवे, माताजी की पाण्डोली के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001 में 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वितीय परिणामो एवं लाभांश की अनुशंसा, यदि कोई हो तो पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।
निवेशक कंपनी की वेब-साईट www.inanimarbles.com एवं www.bseindia.com पर मंडल की बैठक का विवरण देख सकते हे।

मंडल के आदेशानुसार
वास्तेः ईनाणी मार्बल्स एण्ड़ इण्ड़स्ट्रीज लिमिटेड
Sd/-
स्थानः चित्तौड़गढ़ — मधुबाला शर्मा
दिनांकः 22.06.2021 — (कम्पनी सचिव)

धुआं-धूप

धुआं और धूप दोनों की तुलना करिए। क्या अच्छा है क्या बुरा। या कभी कोई अच्छा कभी कोई बुरा। चिंतन की चौखट पर समाधान मिलेगा। धुएं में काम करने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है तब मानव अपनी निर्धारित पहुंच खो बैठता है। बीड़ी सिगरेट चिलम आदि का धुआं सेहत को मटियामेट कर देता है। इतना सब सामने होते हुए भी चेतना जिंदगी के दुर्लभ श्वासों का धुआं देखकर हर्षाए हैं ना आश्चर्य। कभी अगरबत्ती का धुआं प्रिय लगता है क्योंकि वो मन को महका देता है तन को ताजगी से भर लाता तो कभी गीली लकड़ी कण्डों का धुआं आंखों को पानी से भिगो देता है। विवेक रखिए, जिंदगी को कफन का धुआं लगे उससे पहले अगरबत्ती की तरह चिंतन, सद्गुणों की खुशबू से तर कर लें ताकि लकड़ी कंडे के खारे धुएं की तरह आंसुओं के सहारे घुट-घुट कर ना रहे और जब धूप के सहारे कोई मंगल कार्य किया जाता है तब चेहरों को नूर मन भावन पर नजर आता है। सर्दी की बर्फीली हवाएं अपना रूख बरसा रही होती है तो कभी जेठ-बैसाख की भरी दुपहरी में चिलचिलाती धूप मरूप्रदेश में राहगीर को बेहाल भी कर देती है। कठिनाई की धूप में स्वयं को संतुलन के साथ मांगलिक मिशाल की मिसाल बनाएं न कि तपती गर्मी की धूप की तरह बेहा करें।

चिंतनशीला वसुमति जी मा.सा.

सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसो. के प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग मंत्री से की मुलाकात

औद्योगिक समस्याओं से कराया अवगत, मंत्री ने सभी मांगों को जल्द ही पूरा करने का दिया आश्वासन

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल (अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल, महासचिव शोभित शर्मा एवं कोर कमेटी सदस्य जय किशन खत्री) ने मंगलवार को उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा से उनके राजकीय आवास पर मुलाकात की।

इस दौरान प्रहलादपुरा औद्योगिक क्षेत्र के लिंक रोड को शीघ्र पूर्ण करने, एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ाने और नीलामी में लिए गए भूखंडों की किस्तों में ब्याज माफ करने एवं अन्य भुगतान करने वाली स्कीमों की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने, रीको आवासीय कॉलोनियों में भूखंडों को विक्रय करने की अनुमति के बारे में और अन्य कई तात्कालिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिस पर उद्योग मंत्री ने सभी मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया।

SOMI CONVEYOR BELTINGS LTD.
CIN: L25192RJ2000PLC016480
Regd. Office: 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur- 342003, Phone: +91-291-2765400 to 09
E-mail: info@ombhansali.com | Website: www.somiinvestor.com

NOTICE FOR BOARD MEETING

NOTICE pursuant to Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that 5th (2021) meeting of the Board of directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company on TUESDAY, 29th day of JUNE, 2021 at 3:30 NOON to consider and to take on record the Audited Financial Results for the 4TH Quarter and Year ended on 31.03.2021 along with other routine business.

SD/-
Place: Jodhpur — Om Prakash Bhansali
Date: 21/06/2021 — Managing Director

adani Power

Adani Power (Mundra) Limited

Regd. Office: Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi circle, SG Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421, Gujarat, India.

TENDER NOTICE

Adani Power (Mundra) Limited hereby invites Bids for supply of 5400 GAR and 4500 GAR Coal, combined quantity of 13.5 Million (+/- 25%) Tones, for the Power Station on CIF basis. The detailed specification (Tender No. APMuL/21-22/CoalTender01) is available on the website www.adanipower.com under Commercials Tab. All corrigendum, addendum, amendments, time extension if any will be placed in the website of www.adanpower.com and no corrigendum will be published in the press.

Last date for receipt of Bids: 15.07.2021 at 17:00 hrs.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda

PUBLIC NOTICE

Re: Advance account **M/s. Radhey Radhey Milk Products** with our **Ramganj, Ajmer** Branch-Publication of Photographs of Wilful Defaulters.

Notice is hereby given to the public at large that **BANK OF BARODA** has declared the following persons as wilful defaulters, in terms of Bank's/RBI's extant guidelines, complying with the due process prescribed.

1. Mr. Mulchand Punjabi S/o Hotchand Punjabi (Proprietor)

Bank had sent suitable communication to the Borrower/Guarantor informing the decision of the Bank to declare them/him/her as a wilful defaulter.

As permitted by the Reserve Bank of India, Bank publishes the photographs of the wilful defaulters, for the information of public at large.

For Bank of Baroda,
Ramganj Branch, Ajmer

Inani Marbles & Industries Limited

CIN : L14101RJ1994PLC008930

Regd. Office: ARAJI No. 1312, Udaipur- Bhilwara Highway, Near Mataji Ki Pandoli, Chittorgarh (Raj.) 312001

E-mail: inanimarble@gmail.com Tel. No. 01472-240111

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 30th June , 2021 at 4.00 p.m. at Registered Office ARAJI No.1312, Udaipur-Bhilwara Highway, Near Mataji Ki Pandoli Chittorgarh (Raj.) 312001 to inter-alia, consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021 and Declaration of dividend if any for the financial year 2020-21.

The notice is also available on the Company's website at www.inanimarbles.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

Place: Chittorgarh
Date : 22.06.2021

For: Inani Marbles & Industries Ltd.
Sd/- Madhu Bala Sharma
(Company Secretary)

LCRD Division/New Delhi

The Federal Towers
Upper Ground floor, 2/2,West Patel
Nagar, New Delhi-110008
Ph No.011-40733980, 40733978
Email-ndllcrd@federalbank.co.in

NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT
Rule 3(1) OF SECURITY INTERES

1. **Mrs. Santosh Meena** W/o Mr. Mukes
2. **Mr. Mukesh Kumar Meena** S/o Mr. U

Both residing at residing at Plot No – 37, Rajasthan – 302019. **Also at** Flat no S – Plot no 31, Shiv Puri, Jhotwara, Jaipur – F

The 1st of you as principal borrower an Co-borrowers availed Housing Loan Rs 24,75,000.00 (Rupees Twenty Four executing necessary security agreement Towards the security of the aforesaid cred **you i.e Mrs. Santosh Meena** has create way of mortgage on 26.09.2013in respec

DESCRIPTION OF MORTGA

All that piece and parcel of the reside Appartment, VIth , admeasuring 1350 S Jaipur – Rajasthan with proportionate ,with all building/(s) existing and/or to Plot 32, West Plot no 30, North Plot No -

The aforesaid hypothecated / mortgage secured assets'. The undersigned being hereby inform you that a sum **Rs. 24,51 One Thousand Nine Hundred and One O under your Federal Housing Loan accou with Jaipur Branch** of the Bank. In vie account/s is/are classified as Non-Perf guideline of RBI.

You are hereby called upon to pay t **10.03%per annum with Monthly rests Housing Loan account no 134473000** payment and costs within 60 days from Bank will exercise all the powers under above mentioned secured assets such a right to transfer them by way of lease management of the secured assets for re to you .

It is informed that, you shall not transfer b above mentioned secured assets without your failure to discharge your liability a stated above, you shall further be liable expenses incurred in that connection. In c sale proceeds of the secured assets, the for the recovery of the balance amount w invited to the provisions of section 13 (8 redeem the secured assets (security prop This notice is issued without prejudice to the bank for recovering its dues.

This notice was issued on **04th day of Ju** but seems not received by you which SARFAESI Act.

Dated this the 21st day of June 2021

Nan